तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1318/2023/चित्तौड़गढ हेमराज व अन्य बनाम कालू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<u>एकलपीठ</u> **डॉ. गिरीश पाराशर, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री अशोकनाथ योगी, अभिभाषक प्रार्थीगण। **–आदेश–** दिनांकः–28–03–2023 प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 व 221 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ के आदेश दिनांक 09–01–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि ग्राम पारलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ के खेत खसरा नम्बर 384, 386 मीन, 386/488, 244 मीन, 244/486 एवं खसरा नम्बर 243 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण द्वारा अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ते की मांग करते हुए धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 09–01–2023 को आराजी जैर के बाबत मौका रिकार्ड तहसीलदार से तलब करने के आदेश प्रसारित किये गए। जिससे व्यथित होकर उक्त निगरानी उक्त निगरानी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम पारलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ के खेत खसरा नम्बर 384, 386 मीन, 386/488, 244 मीन, 244/486 एवं खसरा नम्बर 243 प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर आवागमन हेतु अप्रार्थीगण द्वारा धारा 251–ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार को आराजी जैर के बाबत मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने बाबत दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1318/2023/चित्तौड़गढ हेमराज व अन्य बनाम कालू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	09–01–2023 को आदेश जैर निगरानी पारिज किये गए। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि तहसीलदार चित्तौड़गढ व पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट अपने पक्ष में करवाने के आशय का अंदेशा होने पर प्रार्थीगण द्वारा माननीय अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष सम्बन्धित तहसीलदार व पटवारी हल्का के विरूद्ध एक शिकायती प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था। जिसका संज्ञान/नजरअंदाज करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 09–01–2023 को उसी तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाने के आदेश प्रसारित कर दिये गए। विधि की यह मंशा रही है कि न्याय किया जाना ही पर्याप्त नहीं है वरन् न्याय होता दिखना भी चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर निगरानी पारित करते हुए पारदर्शिता का अभाव रखा गया है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थीगण को तहसीलदार चित्तौड़गढ व पटवारी हल्का से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ के आदेशा दिनांक 09–01–2023 जिसके माध्यम से तहसीलदार चित्तौड़गढ से आराजी जैर के बाबत मौका रिपोर्ट तलब की गई है, को निरस्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी स्वयं को मौका रिपोर्ट मौके पर उपस्थित होते हुए तैयार किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। हमनें विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण की एडमिशन पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम पारलिया तहसील व जिला चित्तौड़गढ के खेत खसरा नम्बर 384, 386 मीन, 386/488, 244 मीन, 244/486 एवं खसरा नम्बर 243 के बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–ए के तहत अप्रार्थीगण द्वारा अपनी जौत में आवागमन हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 09–01–2023 को रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व आज्ञापक प्रावधान अर्थात सम्बन्धित तहसीलदार चित्तौड़गढ से मौका रिपोर्ट तलब करने के आदेश प्रसारित किये गए। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार चित्तौड़गढ व पटवारी हल्का से न्याय की उम्मीद नहीं होने के आधार पर शिकायती प्रार्थना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/1318/2023/चित्तौड़गढ हेमराज व अन्य बनाम कालू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्र अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने व इस आशय की जानकारी उपखण्ड अधिकारी महोदय को होने के बावजूद भी उसी तहसीलदार से मौका रिपोर्ट से तलब किया जाना न्यायिक मंशा के विपरित पारित किया गया आदेश जाहिर होता है। विधि का यह सुविस्थापित सिद्धान्त है कि न्याय होना ही पर्याप्त नहीं है वरन् न्याय का आभास पक्षकारों को भी होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी से साक्ष्य से यह तथ्य जाहिर होता है कि प्रार्थीगण को तहसीलदार चित्तौड़गढ व पटवारी हल्का से न्याय की उम्मीद नहीं है। लिहाजा न्यायहित में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 221 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रार्थीगण की निगरानी एडमिशन के स्तर पर स्वीकार की जाकर आदेश जैर निगरानी 09-01-2023 निरस्त किया जाता है व उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष धारा 251-ए आरटीए के तहत जैरकार प्रकरण संख्या 98/2022 बेउनवानी कालू गाडरी बनाम हेमराज डांगी में अन्य राजस्व तहसीलदार से वादग्रस्त भूमि के बाबत मौका रिपोर्ट तलब कर अग्रिम कार्यवाही करें। आदेश की सूचना अभिभाषक को जरिये कम्प्यूटर दी जाकर पत्रावली बाद तामिल व तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ. गिरीश पाराशर)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1318 / 2023 / चित्तौड़गढ हेमराज व अन्य बनाम कालू व अन्य	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए